प्रेस नोट दिनाँक-15.09.2021

(1). आज दिनाँक 15.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामींण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत मो0नं0 8810747614 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पडेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

(2). आज दिनांक 15.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल की अध्यक्षता में श्री शैलेन्द्र कुमार राय अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनेपुर में राघव प्रेक्षागार में साइबर अपराधों के अनावरण एवं आम जनमानस को राहत पहुँचाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित उ0प्र0 पुलिस साइबर क्राइम एवं इन्वेस्टिगेशन सम्बन्धी प्रशिक्षण में पुलिस कार्यालय में नियुक्त अधि0/कर्मचारीगण एवं समस्त थानों में प्रशिक्षण हेतु नामित किये गये अधिकारी/कर्मचारीगणों ने भाग लिया | यह प्रशिक्षण दिनाँक-15.09.2021 से 30.09.2021 तक दिया जएगा।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अधि0/कर्मचारीगणों को आयोजित प्रशिक्षण में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री अजय कुमार जायसवाल तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कुशल सिंह पटेल उर्फ राजा पुत्र रामचन्द्र निवासी खुटहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को अवैध 25 अदद पाउच 08 पी0एम0 अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 346/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

अवैध 25 अदद पाउच 08 पी0एम0 अंग्रेजी शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार जायसवाल चौकी प्रभारी शिवरामपुर
2. आरक्षी रणवीर सिंह
3. आरक्षी मयंक तिवारी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0 सं0 83/2021 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि0 थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के वांछित अभियुक्त (1) जगजीवन राम (2) अभियुक्त हरिशंकर पुत्रगण नारायणदत्त निवासीगण लुधौरा बरेठी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया |

उल्लेखनीय है कि कल दिनांक 14.09.2021 को नरेन्द्र कुमार पुत्र देवनाथ निवासी लुधौरा बरेठी थाना रैपुरा द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी गयी कि जगजीवन राम आदि 06 नफ़र निवासीगण लुधौरा बरेठी द्वारा एक राय होकर वादी को गाली गलौज करते हुए फरसा व तमंचा से लैस होकर जान से मारने का प्रयास किया गया | इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0 सं0 83/2021 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि0 बनाम जगजीवन राम आदि 06 नफ़र निवासीगण लुधौरा बरेठी पंजीकृत किया गया | पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरिक्षक थाना रैपुरा को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ़्तारी हेतु निर्देश दिए गए | प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त (1) जगजीवनराम (2) अभियुक्त हरिशंकर पुत्रगण नारायणदत्त निवासीगण लुधौरा बरेठी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया |

अभियुक्त जगजीवनराम के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस तथा एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया|
बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त जगजीवनराम थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 84/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया|

बरामदगी:-

1. एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस तथा एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर

गिरफतारी करने वाली टीम:-

1. श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा
2. व०उ०नि0 श्री शिवकुमार यादव
3. उ०नि० अनिल कुमार गुप्ता
4. आरक्षी संदीप
5. आरक्षी उमाशंकर

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त तथा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफतार किया गया|

(i). व0रि0उ0 श्री तपेश कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 129/21 धारा 452/376/506 भादवि0 थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के वांछित अभियुक्त राजू उर्फ़ शमशुद्दीन पुत्र साहिबा निवासी दुबारी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया|

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

(1). वरि0उ0नि0 श्री तपेश कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी
(2). आरक्षी विकेश कुमार मौर्य

(ii). उ०नि० श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मु0आ0सं0 50/16 धारा 336/504/506 भादवि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त 1.अमित कुमार 2.सुनील कुमार पुत्रगण मैयादीन निवासीगण असोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट तथा मु0अ0स 12/16 धारा 354(ख)/323/427/504/506 भादवि0 व एससी/एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त रामपाल पुत्र कोदूराम निवासी रेहुंटा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया|

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री राजोल नागर
3. आरक्षी जलील अहमद
4. आरक्षी अनिल

(6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-3" अभियान के तहत आज दिनांक 15.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । जिसमें महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वो से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओ को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102

स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलो यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।